28/6/22 मूल वाद पत्र पेशी में होने पर यह पत्रावली पेश की गई। चूंकि मूल वाद निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होने पर यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। बाद तरतीब तकमील होकर पत्रावली दाखिल द.फ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना